

361

न्यायालय राजस्व संश्लेषण अधिनियम, 1963 (म.प्र.)

प्रक्र. निगरानी/मिड/पुरापुरा/2017/-----

निगरानी/मिड/2017/4077

द्वारा आज दिनांक 30-10-17 को

प्रस्तुत

बादशाह पुत्र मौजीराम, जाति हरिजन
निवासी ग्राम परियाया टप्पा-सुरपुरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....आवेदक

'बनाम्'

- 1. रामजीलाल
 - 2. सुनील
 - 3. नौरंग सिंह
 - 4. हरिओम
 - 5. अर्जुनलाल
 - 6. रविदास पुत्र अर्जुनलाल
- पुत्रगण जीवाराम
- पुत्रगण मौजीराम
- सभी जाति-जाटव निवासी ग्राम परियाया
टप्पा सुरपुरा तहसील अटेर, जिला
भिण्ड (म.प्र.)
- ...अनावेदकगण

6.11.17

जशदेव

कोर्ट भिण्ड

ले. वा. वि. म.

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. स्वामिन्दार

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अटेर के प्रकरण क्रमांक
34/2016-17/अ.मा. में पारित ऑर्डरशीट दिनांक 07.09.2017
के विरुद्ध ।



श्रीमान् महोदय,
निगरानी आवेदन निम्नानुसार पेश है :-
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

क्रमशः.....2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4077

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>	